भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1767

दिनांक, 08.03.2016/18 फाल्गुन, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

साम्प्रदायिक हिंसा

†1767. **श्री शंकर प्रसाद दत्ता**:
श्री सुल्तान अहमद:
श्रीमती के. मरगथम:
श्री नव कुमार सरनीया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दंगों/साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में सूचित किए गए दंगों/साम्प्रदायिक हिंसा, मारे गए/घायल हुए लोगों/सुरक्षा कर्मियों, गिरफ्तार किए गए/दोष सिद्ध किए गए दोषी व्यक्तियों की अलग-अलग राज्य-वार कुल संख्या कितनी है और उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई कि गई और देश में संपत्ती को कितना नुकसान पहुंचा;

(ग) क्या सरकार ने कोई जांच कि है और राज्यों को प्रत्येक मामले में जांच करने के लिए निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को राज्यों से कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ड़) क्या सरकार ने दंगों और सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों हेतु कोई मुआवजा नीति बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी मुस्लिमों सहित समुदाय और राज्य-वार ब्यौरा क्या है, उक्त अवधि के दौरान ऐसे पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कुल कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों को सलाह जारी की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी सलाहों पर राज्यों द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई हैं; और

.....2/-

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या: 1767

(छ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री किरेन रिजिजू**)

(क) से (घ): **उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात** 2013, 2014 **और** 2015 **तथा जनवरी**, 2016 **के दौरान सांप्रदायिक घटनाओं, उनमें मारे गए/घायल हुए लोगों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।**

भारत के संविधान के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं, सांप्रदायिक हिंसा से निपटने, अपराधों के पंजीकरण, जांच/पूछताछ, मुआवजा प्रदान करना; और इस संबंध में पुनर्वास एवं रख रखाव के संगत आंकड़े रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। सम्पत्ति को हुई क्षति की मात्रा, गिरफ्तार/दोषसिद्ध व्यक्तियों और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई, मारे गए/घायल व्यक्तियों के लिंग आदि जैसे ब्यौरे केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते।

(ङ): **"आतंकवादी, सांप्रदायिक और नक्सलवादी हिंसा के पीड़ित नागरिकों की सहायता संबंधी केन्द्रीय योजना" नामक एक केन्द्रीय योजना के तहत दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथा सम्मिलित प्रत्येक मौत और स्थायी अपंगता के लिए प्रभावित परिवार को** 3.00 **लाख रु. की राशि दी जाती है। यह राशि प्रारंभिक तौर पर संबंधित राज्य सरकार जो संबंधित**

रिकार्ड रखती है, द्वारा भुगतान की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर विधिवत सत्यापन के पश्चात की जाती है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द फाउंडेशन (एनएफसीएच) जो गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, अपनी परियोजना "सहायता" के तहत सांप्रदायिक और अन्य प्रकार की सामाजिक हिंसा में दोनों अभिभावकों अथवा परिवार के प्रमुख आजीविका कमाने वाले की मौत अथवा स्थायी अपंगता के कारण अनाथ होने वाले अथवा बेसहारा होने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान "सहायता" परियोजना के तहत वित्तीय सहायता के संबंध में खर्च की गई कुल राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं

वर्ष	खर्च की गई राशि
2012-13	5,09,93,250 रु.
2013-14	5,29,18,450 रु.
2014-15	5,09,26,500 रु.
2015-16 (फरवरी तक)	4,08,86,750 रु.

(च): केन्द्र सरकार सांप्रदायिक घटनाओं की सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्शी-पत्र जारी करता है। आसूचना संबंधी जानकारियों के आधार पर महत्वपूर्ण त्यौहारों और कार्यक्रम के पूर्व भी परामर्शी-पत्र जारी किए जाते हैं। ये परामर्शी-पत्र उनके तत्काल सुग्राहीकरण में सहायता करते हैं और उनको सांप्रदायिक हालात को रोकने, नियंत्रित करने और उससे निपटने के लिए उपयुक्त आसूचना प्रदान करता है।

(छ): देश में साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सूचना साझा करने, अलर्ट करने, अलर्ट संदेश और परामर्शी-पत्र भेजने, संबंधित राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोधों पर विशेष रूप से सांप्रदायिक स्थितियों से निपटने के लिए गठित कम्पोजिट द्रुत कार्रवाई बल सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात करने तथा राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण जैसे विभिन्न तरीकों से सहायता पहुंचाती है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2008 **में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को संशोधित दिशा-निर्देश परिचालित किया है।**

*****

अनुलग्नक के पृष्ठ 2 का 1

दिनांक 08.03.2016 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 1767 के भाग (क से घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण जिसमें वर्ष 2013, 2014, 2015 और जनवरी, 2016 के दौरान सांप्रदायिक घटनाओं, उनमें मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या दर्शाई गई है।

राज्य का नाम	2013			2014			2015			जनवरी, 2016		
	घटनाएं	मारे गए	घायल	घटनाएं	मारे गए	घायल	घटनाएं	मारे गए	घायल	घटनाएं	मारे गए	घायल
अ. एवं नि. द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	15	0	65	5	0	5	4	0	3	0	0	0
अरुणायल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	0	0	0	1	0	23	3	0	10	0	0	0
बिहार	63	7	283	61	5	294	71	20	282	7	0	20
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	3	0	2	0	0	0	2	0	10	0	0	0
दिल्ली	2	0	1	7	1	104	5	0	16	2	0	13
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	68	10	184	74	7	215	55	8	163	2	0	0
हरियाणा	2	0	8	4	1	12	3	0	107	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	0
जम्मू एवं कश्मीर	4	3	61	0	0	0	4	1	9	1	0	0
झारखंड	12	2	35	10	1	102	28	3	118	2	0	6
कर्नाटक	73	1	235	73	6	177	105	8	337	6	0	18
केरल	41	1	65	4	1	20	3	0	3	0	0	0
लक्षदीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	84	11	256	56	12	167	92	9	177	11	2	43

.....2/-

अनुलग्नक के पृष्ठ 2 का 2

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं॰ 1767

राज्य का नाम	2013			2014			2015			2016		
	घटनाएं	मारे गए	घायल	घटनाएं	मारे गए	घायल	घटनाएं	मारे गए	घायल	घटनाएं	मारे गए	घायल
महाराष्ट्र	88	12	352	97	12	198	105	14	323	7	2	33
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	3	1	0	3	1	3	0	0	0	1	0	22
पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	52	2	194	72	14	139	65	5	150	3	0	3
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	36	3	85	15	1	44	3	0	1	1	0	2
तेलंगाना	0	0	0	5	0	3	11	1	27	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तराखंड	3	2	0	8	1	9	9	0	21	0	0	0
उत्तर प्रदेश	247	77	360	133	26	374	155	22	419	12	1	64
पश्चिम बंगाल	24	1	80	16	6	32	27	5	84	3	1	9
कुल	823	133	2269	644	95	1921	751	97	2264	59	6	233